निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 578) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 मई 2016

सं0 22/नि0सि0(दर0)–16–10/2011/779—श्री वंशीधर पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (आई0 डी0 3518), कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर के विरूद्व श्री सुजीत कुमार यादव, प्रखण्ड अध्यक्ष (एन0 एस0 यू0 आई0), जयनगर से प्राप्त परिवाद के आलोक में कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर के अधीन वर्ष 2010–11 में कराये गये कार्यो की जॉच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा की गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय से अपने पदस्थापन काल में भवन मरम्मर्ति कार्य में न्यून विशिष्टि का कार्य कराने के लिए विभागीय पत्रांक 236 दिनांक 23.01.15 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। श्री पाण्डेय द्वारा अपने बचाव बयान में कहा गया कि भवन मरम्मति में प्रयुक्त निर्माण सामग्री यथा ईट एवं बालु की जॉच जो गुण नियंत्रण प्रमण्डल द्वारा किया गया था वह मानक के अनुरूप पाया गया। सीमेंट मोर्टार की जॉच सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल द्वारा कराये जाने पर सीमेंट एवं बालू के प्रोपोरेशन में कमी पायी गयी। परन्तु जॉच फल में यह अंकित है कि व्यवहृत सीमेंट नहीं रहने के कारण के0 सी0 सी0 सीमेंट मानकर गणना की गयी। अतः वास्तविक प्रोपोरशन में कमी आने की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

समीक्षा में पाया गया कि सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल पटना द्वारा दिये गये जॉच प्रतिवेदन के अनुसार भवन मरम्मति कार्य में ब्रीक वर्क में व्यवहृत सीमेंट मोर्टार में सीमेंट बालू का अनुपात प्रावधानित 1:6 के बदले 1:9.8 तथा प्लास्टर कार्य में सीमेंट बालू का अनुपात प्रावधानित 1:4 के बदले 1:5.6 पाया गया। इसकी अभ्युक्ति में यह अंकित की गयी कि ''व्यवहृत सीमेंट उपलब्ध नहीं रहने के कारण निर्देशानुसार के0 सी0 सी0 सीमेंट में उपलब्ध कैल्शियम की मात्रा 34.03 प्रशित मानकर गणना की गयी''।

तकनीकि परीक्षक कोषांग के पत्रांक 1045 दिनांक 06.07.92 के अनुसार सीमेंट में कैल्शियम की मात्रा में भिन्नता रहने पर सीमेंट बालु के वास्तविक अनुपात में भिन्नता हो सकती है। इस पत्र में यह उद्वत है कि कैल्शियम की मात्रा 40 प्रतिशत मानकर जिस मौर्टार का अनुपात 1:10 निकाला जाता है कैल्शियम की मात्रा 55.1 प्रतिशत होने पर मोर्टार का अनुपात 1:8.66 एवं कैल्शियम की मात्रा 43.3 प्रतिशत होने पर मोर्टार का अनुपात 1:10.90 होगा। यहॉ कैल्शियम की मात्रा 34.03 प्रतिशत मानकर गणना की गयी है। कैल्शियम की मात्रा 40 प्रशित मानने पर मोर्टार में एक भाग सिमेंट की तुलना में बालु का अनुपात उपलब्ध परिणाम से और बढ़ ही जाता। पत्र के अनुसार जहॉ मोर्टार या कंक्रीट हैंड मिक्सिंग से तैयार किया गया हो, वहॉ मिक्सिंग में समरूपता नहीं होने से भी जॉच में पाये गये अनुपात वास्तविक अनुपात से 15–20 प्रतिशत तक भिन्न हो सकता है।

ब्रीक वर्क में सीमेंट की मात्रा में विचलन 35.20 प्रतिशत एवं प्लास्टर में सीमेंट की मात्रा में विचलन 24.24 प्रतिशत पाया गया। दोनों ही मोर्टार में सीमेंट की मात्रा में विचलन 20 प्रतिशत से ज्यादा पाये जाने के कारण ब्रीक वर्क एवं प्लास्टर में न्युन विशिष्टि का मोर्टार का उपयोग किये जाने का आरोप श्री पाण्डेय के विरूद्व प्रमाणित पाया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 19 के तहत श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्व प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

''एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''।

सरकार के निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री वंशीधर पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दरखा, शि0–पकरीबरावॅा, नवादा को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 578-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in